न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 06/2020

श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेश पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासी पीसागंन तहसील पीसागंन जिला अजमेर

....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसागन जिला अजमेर।
2. श्रीमती बिदामी पत्नि नारायण
3. श्री बाबूलाल पुत्र नारायण
4. श्री भंवरलाल पुत्र नारायण
5. श्री मुकेश पुत्र नारायण
6. श्री शिवलाल पुत्र नारायण
7. श्रीमती गुड्डी पुत्री नारायण

समस्त जाति कुमावत 2 लगायत 7 निवासी पीसागंन तहसील पीसागंन जिला अजमेर

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956
सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री विजयप्रकाश कुमावत — अभिभाषक प्रार्थी
स्वयं उपस्थित — अप्रार्थीगण

—: निर्णय :— दिनांक 17.03.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पीसागंन तहसील पीसागंन जिला अजमेर जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या नया 1383 पुराना 1165 खसरा संख्या 1682/6413 रकबा 0.03 एंव खाता संख्या नया 1382 पुराना 1164 के खसरा सख्या 1031, 1032, 1145, 1146, 1658, 477 रकबा 3.11 एंव खाता संख्या 1203 नया 969 पुराना के खसरा सख्या 1645/5917, 1657, 1661 रकबा 1.50 है. एंव खाता संख्या 1215 नया 980 पुराना के खसरा सख्या 1028 रकबा 0.94 एंव खाता संख्या 1378 नया 1160 पुराना के खसरा सख्या 1089 रकबा 0.30 है की कृषि भूमि जरिये विरासत से प्रार्थी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी रही है। प्रार्थी समझदार होते ही खाने कमाने के लिये बाहर चला गया एंव प्रार्थी के देहान्त होने के पश्चात प्रार्थी का परिवार ही प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि का उपयोग उपभोग व सार संभाल करते आ रहे हैं। प्रार्थी को बचपन से सुरेन्द्र और सुरेश नाम से पुकारते थे इस कारण राजस्व ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी में प्रार्थी का बोलते नाम सुरेश से ही विरासत प्रार्थी के नाम खोल दी गयी । जबकि प्रार्थी का स्कूल रिकार्ड में व परिचय पत्र राशनकार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में सुरेन्द्र कुमार पुत्र नारायण नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर पीसांगन

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र नारायण अंकित किये जाने के आदेश पारित करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। राजहित प्रभावित नहीं होने से जवाब सरकार बंद किया जाता है शेष अप्रार्थी संख्या 2 से 7 ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने आज एकपक्षिय बहस सुनी । पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम पीसागंन तहसील पीसागंन जिला अजमेर जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या नया 1383 पुराना 1165 खसरा संख्या 1682/6413 रकबा 0.03 एंव खाता संख्या नया 1382 पुराना 1164 के खसरा सख्या 1031, 1032, 1145, 1146, 1658, 477 रकबा 3.11 एंव खाता संख्या 1203 नया 969 पुराना के खसरा सख्या 1645/5917, 1657, 1661 रकबा 1.50 है. एंव खाता संख्या 1215 नया 980 पुराना के खसरा सख्या 1028 रकबा 0.94 एंव खाता संख्या 1378 नया 1160 पुराना के खसरा सख्या 1089 रकबा 0.30 है के राजस्व रिकार्ड में सुरेश पुत्र नारायण के स्थान पर सुरेन्द्रकुमार पुत्र नारायण का अकंन किया जावे शेष इन्द्राज यथावत।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:30:05 IST
Reason: SelfAttested